

डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, मुंगेली (छोगो)।
आचरण-संहिता सत्र 2020-21

अध्ययन सम्बंधी नियम :-

- प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपरिक्षिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की प्राप्ति नहीं होगी।
- विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग साक्षात् पूर्वक करेगा। उनको स्वयं रखेगा।
- ग्रन्थालय द्वारा रखापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सभी पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय में नहीं लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
- अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
- व्याख्यान कक्षाओं, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक सामाग्री आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा सम्बंधी नियम :

- विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अद्वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
- अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
- परीक्षा में या उसके सम्बंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र –

- यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताङ्गना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
- यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
- यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक, अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति से सम्मुख करेंगे।

प्राचार्य
प्राचार्य
डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्र^{25.6.2020}
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय
मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग.)